चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांकः 13/1/21

–ः आदेश ः–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड नारेली, घूघरा, माकडवाली, हाथीखेडा तबीजी, दौराई, एवं सोमलपुरा तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की ग्राम पंचायत मुण्डलीरणजीतपुरा के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव जनवरी, 2021 में करवाये जाने हेतु कार्यकम की घोषणा कर दी गई है। सबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। मतदान दिनांक 22.01.2021 (शुकवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव(जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र कमांक 324 दिनांक 11.1.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. संभागीय आयुक्त अजमेर,जयपुर ।
15. जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी) अजमेर,जयपुर
16. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
20. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

19/1/21

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019 **जयपुर, दिनांकः** 19-1-2021

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड नारेली, घूघरा, माकडवाली, हाथीखेडा तबीजी, दौराई, एवं सोमलपुरा तथा जयपुर जिलें की पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव जनवरी, 2021 में करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है। मतदान दिनांक 22.01.2021 (शुकवार) को होने के कारण संबधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव(जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र कमांक 332 दिनांक 11.1.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. संभागीय आयुक्त अजमेर,जयपुर ।
15. जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी) अजमेर,जयपुर।
16. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
20. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

19/1/21
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

731
296

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 324 दिनांकः 11/01/2021

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव, 2021 – स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड, नारेली, घूघरा, गावड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत गूण्डलीरणजीतपुरा के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव माह जनवरी, 2021 में करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है।

कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य के संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गये हैं। आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करें। (प्रति संलग्न) आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 में वर्णित विन्दुओं की पालना के साथ–साथ निम्नांकित विन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय हैः–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संवंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिवंध लागू नही होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नही करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं वुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जव चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक वंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक वंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. संबंधित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावे।

सलंग्नः–चुनाव कार्यक्रम एवं आदर्श आचरण संहिता।

भवदीय,

चित्रा
11/1/2021
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 325 दिनांकः

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर एवं जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in Ph. 0141-2227250, 2227022, 2227407)

माह जनवरी, 2021 में होने वाले 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हेतु कार्यक्रम

(अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सन्दोलिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत मुण्डोती/मण्डोलीपुरा)

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	15.01.2021 (शुक्रवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	16.01.2021 (शनिवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) प्रातः 10.30 से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	17.01.2021 (रविवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	21.01.2021 (गुरूवार)
7	मतदान की तिथि एवं समय	22.01.2021 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	22.01.2021 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
9	उपसरपंच का चुनाव	23.01.2021 (शनिवार)
	उपसरपंच के चुनाव के लिए समय-सारणी	
	1. बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	2. बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	3. नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	5. चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
	6. मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
	7. मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

241

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2021/332 दिनांकः 11/01/2021

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव, 2021 – सार्वजनिक अवकाश के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव माह जनवरी, 2021 में करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान दिवस दिनांक 22.01.2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने का श्रम करें। इस संबंध में आपके द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति आयोग को भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

चित्रा 11/1/2021
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2021/333 दिनांकः 11/01/2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर एवं जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

इस पत्र का संबंध साप्र (ग्रुप-2) विभाग से है, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18/1/2021

18/1/2021
अनुभागाधिकारी
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

A.S.O.

SO, GAD-2

292

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

माह जनवरी, 2021 में होने वाले 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हेतु कार्यक्रम

(अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा)

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	15.01.2021 (शुक्रवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	16.01.2021 (शनिवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) प्रातः 10.30 से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	17.01.2021 (रविवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	21.01.2021 (गुरूवार)
7	मतदान की तिथि एवं समय	22.01.2021 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	22.01.2021 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
9	उपसरपंच का चुनाव	23.01.2021 (शनिवार)

उपसरपंच के चुनाव के लिए समय–सारणी

1.	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
2.	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
3.	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
4.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
5.	चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
6.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
7.	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्